न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 70 / 2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 पदमसिंह 2 बालसिंह पिसरान दानसिंह जाति रापजूत निवासी पुरोहितों की बस्ती, मुढो की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।		1 नीम्बाराम 2 आईदानराम पिसरान केसाराराम जाति जाट निवासी पुरोहितों की बस्ती, मुढो की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTA Act.

उपस्थिति :– 1 श्री सम्पतराज बोथरा, वकील प्रार्थीगण।
2 श्री चेतनराम सारण, वकील अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक 17/03/21

संक्षिप्त मे प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी सभावना है। प्रार्थीगण द्वारा एक ओवदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार क्षेत्र मुढो की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 101 रकबा 144.08 बीघा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की आई हुई है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण का खेत खसरा संख्या 102 आया हुआ है। वर्तमान में भूमि की कीमतों में वृद्धि होने के कारण अप्रार्थीगण की नीयत में खोट आने से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में अनाधीकृत रूप से प्रवेश कर प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रयास कर रहे है, जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है। यदि अप्रार्थीगण अपने प्रयास में सफल होते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति नही की जा सकती है। लिहाजा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का अनाधिकृत हस्तक्षेप न करे, मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 17.06.2020 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तथा अप्रार्थीगण को नॉटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण के खेतों के मध्य श्रीमान् के न्यायालय में राजस्व आवेदन संख्या 22 / 2004 अनवान निम्बाराम बनाम पदमसिंह में पारित आदेश दिनांक 24.06.2004 व दिनांक 25.06.2004 द्वारा पक्की नेखमबन्दी की जा चुकी है, जिस पर प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण मौके पर मौजुद थे। अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 102 की नेखमबन्दी की जा चुकी है तथा वर्तमान में आवारा पशुओं से बचाव हेतु पक्की तारबन्दी की जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही किया जा रहा है। अप्रार्थीगण अपनी कब्जा काश्त की खातेदारी की भूमि जिसकी पक्की नेखमबन्दी भी करवाई हुई है जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

प्रार्थीगण मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए वाद एवं आवेदन प्रस्तुत किया है जो सारहीन होने से खारिज योग्य है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है। अप्रार्थीगण नेखमबन्दी की आड में प्रार्थीगण के खेत में हस्तक्षेप कर कब्जा करना चाहता है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अप्रार्थीगण को अधिकार नही है। लिहाजा वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म करवाने का अधिकारी है।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के सेढा–सेढ अप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, जिसकी पक्की नेखवन्दी भी करवाई हुई है। अप्रार्थीगण उक्त खसरा संख्या 102 की भूमि अभिलिखित खातेदार है। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी कब्जा काश्त की भूमि में पक्की नेखमबन्दी के आधार पर पशुओं से फसल की रक्षा हेतु तारबन्दी किये जाने पर प्रार्थीगण द्वारा अन्तरीम अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में अवैधानिक रूप से तारबन्दी करने से रोका जा रहा है, जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। आवेदन खारिज योग्य है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व अभिलेख का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार है, प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नही है। अप्रार्थीगण खसरा संख्या 102 के अभिलिखित खातेदार है तथा उन्होने अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी भी करवाई हुई है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण को भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नही है।

अतः प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनापरान्त वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा उभय पक्षों के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि गौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार क्षेत्र मुढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 101 रकबा 144.08 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें। गौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार क्षेत्र मुढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 102 रकबा 92.16 बीघा भूमि में प्रार्थीगण भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा से उभय पक्ष पावन्द रहेंगे।

(सोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 17/8/21 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय
बाड़मेर

प्रार्थीगण
पदमसिंह व अन्य

बनाम

विप्रार्थीगण
नीम्बाराम व अन्य

राजस्व आवेदन संख्या 19/2020
पेशी तारीख 22.10.2020

प्रार्थना पत्र वास्ते उक्त अनवान के प्रकरण की पत्रावली आज ही पेशी पर लेकर तत्काल प्रभाव से सुनवाई करने।

मान्यवर जी,

निवेदन प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की ओर से निम्न प्रकार हैं:—

1— यह है कि उक्त अनवान का प्रकरण माननीय अदालत में विचाराधीन हैं जिसकी आगामी सुनवाई पेशी दिनांक 22.10.2020 को मुकर्र हैं।

2— यह है कि उक्त प्रकरण अति आवश्यक प्रकृति का हैं तथा इस प्रकरण में प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा माननीय अदालत से एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी करवा रखा हैं जिससे विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के कब्जे एवं काश्त वाली भूमि के मौके पर अपनी फसल की सुरक्षा करने हेतु पक्की तारबंदी करनी रूकी हुई है तथा काटेदार तार के गट्टे जंग खा रहे है जिससे विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को भारी आर्थिक एवं मानसिक रूप से क्षति हो रही हैं।

3— यह है कि उक्त प्रकरण में विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 20.06.2020 को माननीय अदालत में जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका है व दिनांक 20.06.2020 को ही इस प्रकरण में आवश्यक एवं तुरन्त प्रभाव से सुनवाई करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था जो भी अभी तक सुनवाई हेतु पेंडिंग पड़ा है।

4— यह है कि वर्षात हो गई है तथा विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के खेत में खडी फसल मवेशीयो द्वारा नष्ट की जा रही है तथा तारबंदी रूकी हुई पडी मौके पर जंग खा रही है जिससे विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को भारी आर्थिक एवं मानसिक रूप से क्षति हो रही है इसलिए इस प्रकरण की पत्रावली आज ही तलब कर इस पर आवश्यक सुनवाई की जावें जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् अदालत में प्रस्तुत हैं।

अतः श्रीमान्जी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण की पत्रावली आज ही तलब कर इस प्रकरण को अति आवश्यक प्रकृति का मानते हुए इस पर आज ही सुनवाई कर अग्रिम कार्यवाही का आदेश जारी किया जावे।

इति दिनांक 22.07.2020